



'क' श्रेणी

विद्युत निदेशक
विद्युत सुरक्षा, उ० ल० शासन
लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन

बिजली के टेकेदारों को लाइसेन्स

(सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1135-ई एल/XXIII-पी बी-94-ई०एल०-58, दिनांक 11 मई, 1967 द्वारा प्राधिकृत)

श्री नीरज कुमार (स्वामी कार्मी)
सर्वश्री रुना०कौ०इ०ट॒रप्रा॒इ॒ज॒ज॒,
ग्रा०+पो० कैथवाडी, मेरठ

को विज्ञप्ति संख्या 1135-ई एल/XXIII-पी बी-94-ई०एल० ए०-58, दिनांक 11 मई, 1967 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत करने के लिये एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश

लाइसेन्स संख्या MT-591

निर्गमित करने का दिनांक 5-9-2018

अवधि समाप्ति का दिनांक 31-3-2019.

वार्षिक निरीक्षण शुल्क का चालान प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक तथा नवीकरण शुल्क के चालान के साथ लाइसेन्स 11 मार्च तक निदेशक, विद्युत सुरक्षा के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सभी शुल्क उत्तर प्रदेश के किसी राजकोष में निम्न हेड ऑफ एकाउन्ट के अन्तर्गत जमा किये जाने चाहिये।

‘0043 विद्युत कर तथा शुल्क

(102) भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस’

विद्युत निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० ल० शासन
उत्तर प्रदेश सरकार।

नवीकरण का दिनांक	अवधि समाप्ति का दिनांक	सरकार के निदेशक के हस्ताक्षर	नवीकरण का दिनांक	अवधि समाप्ति का दिनांक	सरकार के निदेशक के हस्ताक्षर
1-4-2019	31-3-2020	<i>कृते निदेशक</i>			